



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 521 राँची, शुक्रवार,

8 अक्टूबर, 2021 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

8 अक्टूबर, 2021

विषय:- खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड (JHARKHAND EXPLORATION AND MINING CORPORATION LIMITED) के गठन के संबंध में ।

संख्या-ख०नि०(विविध)-40/2021-2057--एम०, झारखण्ड एक खनिज सम्पन्न राज्य है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बाक्साइट, ग्रेफाईट, यूरेनियम, कॉपर, स्वर्ण खनिज के बेशकीमती पत्थर एवं अन्य अनेकों पत्थर के खनिजों का प्रचुर भरमार है। राज्य में खनन का इतिहास काफी पुराना है। खनिज के भरमार के कारण राज्य में कई खनिज आधारित उद्योग स्थापित हैं एवं खनिज आधारित उद्योगों के विकास की काफी संभावनाएँ हैं ।

विगत वर्षों में देश के खान एवं खनिज नियमों, अधिनियमों एवं संबंधित प्रावधानों में व्यापक बदलाव आया है। सम्प्रति खनिज समनुदान के लिए खनिज ब्लॉको की खुली नीलामी का प्रावधान निरूपित है। खनिज ब्लॉको की नीलामी के लिए खनिजों का विधिवत अन्वेषण आवश्यक है। पूरे देश में अन्वेषण को बढ़ावा देने हेतु NMET के माध्यम से कोष का गठन किया गया है। इसी प्रकार खनिज के उत्खनन में पर्यावरण की समस्याओं एवं उससे प्रभावित लोगों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु DMFT Fund का गठन किया गया है ।

खनिज ब्लॉक को नीलामी के उपरांत खनन हेतु विकसित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन योजना की स्वीकृति, वन अनुमति के लिए वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता, स्थानीय लोगों के विस्थापन इत्यादि कई महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पन्न करना पड़ता है।

वृहत खनिज की नीलामी भारत सरकार में कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार को अपने अधीन कोयला ब्लॉको को प्राप्त करने के लिए जो केन्द्र सरकार के माध्यम से आवंटन किया जाता है उस व्यवस्था से राज्य को अच्छा कोयला नहीं मिल पा रहा है। अतएव यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अपने प्रतिष्ठान/कम्पनी/उपक्रम के माध्यम से नीलामी में भाग लेकर कोल ब्लॉक प्राप्त करें।

सभी खनिज की नीलामी में यदि सक्रिय सहभागिता के साथ भाग लेकर वृहत खनिजों के ब्लॉको को प्राप्त नहीं किया जाता है तो भविष्य में राज्य के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य होने के बावजूद अपने प्रदेश की आवश्यकताओं यथा खनिज आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने में विफल हो जाएगा।

2). खान एवं खनिज विनियमन में नीतियों में आए बदलाव को मद्देनजर रखते हुए यह महसूस किया जा रहा है कि राज्य सरकार एक नये निगम का गठन करे, जो खनिज अन्वेषण, संवैधानिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने, कोल ब्लॉको एवं अन्य वृहत खनिज के ब्लॉको को प्राप्त कर विकसित कराने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करे तथा विकास को रखने में अहम योगदान करे। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में Jharkhand Exploration and Mining Corporation Ltd. (JEMCL) का गठन किया जाता है।

3). राज्य में खनिज अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु Jharkhand Exploration and Mining Corporation Ltd. (JEMCL) गठित की जाती है।

4). JEMCL के द्वारा निम्न गतिविधियाँ संचालित की जाएगी:-

- (क) राज्य के अन्तर्गत खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों पर अभी भी भूतात्विक अन्वेषण नहीं किया गया है, जिनपर मानक स्तर का अन्वेषण कार्य।
- (ख) सभी परिसमाप्त, परित्यक्त, कालतिरोहित अथवा अनिर्णित खनन पट्टों पर अन्वेषण कार्य।
- (ग) राज्य के अनेक खनिजों यथा कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, ग्रेफाईट, लाईम स्टोन, डोलोमाईट आदि के Core drilling के औसत गड़राई को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष 1.5 लाख मीटर core drilling का लक्ष्य के साथ कुल 50 लाख मीटर core drilling का कार्य।
- (घ) उक्त 50 लाख core drilling के अलावा अन्य अन्वेषण गतिविधियाँ यथा remote sensing study, geological mapping, geophysical investigation, core logging, preservation and recording of basic data, sampling & analysis, data interpretation and co-relation, 3D modeling, preparation of plans and sections, reserve/resources estimation etc. किया जाएगा।
- (ङ) अन्वेषण के आधार पर नियमानुसार भूतात्विक प्रतिवेदन तैयार करना एवं उसका प्रकाशन।
- (च) राज्य अन्तर्गत एवं अन्य राज्यों में खनिज ब्लॉको के नीलामी में भाग लेना।
- (छ) खनिज ब्लॉको के नीलामी हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को तैयार करने संबंधी कार्य।

- (ज) खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव, EIA/EMP आदि के क्षेत्र में परामर्शी कार्य ।
- (झ) खनन कार्य एवं खनिजों का उत्पादन ।
- (ञ) खनिजों का विपणन एवं बिक्री ।

- 5). Jharkhand Exploration and Mining Corporation Ltd. (JEMCL) राज्य सरकार के अन्तर्गत शत-प्रतिशत अंशदान के साथ अनुषंगी कम्पनी के रूप में गठित की जाती है। JEMCL की प्राधिकृत पूंजी कम से कम 1000 करोड़ रु० होगी, जो आवश्यकतानुरूप निगम को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारंभिक जमा पूंजी निगम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
- 6). निगम के निदेशक मंडल में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों के साथ) कम्पनीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे ।
- 7). निगम राज्य सरकार के द्वारा निदेशित क्षेत्रों पर अन्वेषण कार्य करेगी। निगम को अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के साथ एकरारनामा करना होगा ।
- 8). राज्य सरकार के द्वारा निगम को सौंपे गए खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण कार्य के व्यय का वहन की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के माध्यम से अथवा उक्त लीज की नीलामी के उपरान्त निविदाकर्ताओं से प्राप्त राशि से की जाएगी। निगम द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ताकि अन्वेषण कार्य बाधित न हो। निगम NMET से भी अनुदान हेतु प्रयास करेगा ।
- 9). निगम के द्वारा अपने गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रारम्भ की जाएगी ।
- 10). प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक-1919/एम०, राँची, दिनांक-28.09.2021 के क्रम में दिनांक-28.09.2021 की बैठक के मद संख्या-17 में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।
